कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक- 158/स्टेनो/एडीएम/ 2025/ देवास, दिनांक- 04/11/2025

-:सीएम हेल्पलाईन समीक्षा बैठक दिनांक 03.11.2025 का कार्यवाही विवरण:-

-0-

दिनांक 03.10.2025 को कार्यालय कलेक्टर, देवास के सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में अपर कलेक्टर, जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), तहसीलदार समस्त, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित हुये।

राजस्व विभाग की 50 दिवस से अधिक कुल 690 शिकायतें लंबित थी, कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलवार प्रत्येक सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान यह विदित हुआ है कि कई शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद हो सकती थी, लेकिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद नहीं हूई। साथ ही जिन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है किंतु शिकायते बंद नहीं हुई है उनके लिए फोर्स क्लोज के प्रस्ताव तथ्यात्मक आधार पर भेजे जाते है, लेकिन अधिकारियों द्वारा नहीं भेजे गये।

अत: शिकायतों में यथा उचित कार्यवाही नहीं करने एवं शिकायतों के अधिक समय के लंबित होने कि स्थिति में निम्नानुसार शासकीय सेवकों पर दण्डात्मक कार्यवाही कि गई है:-

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	कारण	कृत कार्यवाही
01	श्रीमती पिंकी मुजाल्दे, पटवारी उदयनगर	हल्के का प्रभार मिलने के चार माह बाद भी न तो शिकायत का निराकरण दर्ज करवाया न ही शिकायत के बारे में कोई जानकारी है।	**निलंबित किया जावे।**
02	श्री जयंत मलिक, पटवारी, उदयनगर	समय सीमा में शिकायत का रिव्यू नहीं करने एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाने पर	**निलंबित किया जावे**
03	श्री फ्रांसिस सुल्या, सहा. ग्रेड 03, उदयनगर	शिकायत का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत भी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया।	**एक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोकी जावे।**
04	श्री संदीप पाटीदार AEGM सोनकच्छ	समय सीमा में निराकरण दर्ज नहीं किया	**02 दिवस का वेतन काटा जावे।**
05	वंदना रंगवाल, AEGM टोंकखुर्द	शिकायत का समयसीमा में उचित निराकरण दर्ज नहीं करने पर	**02 दिवस का वेतन काटा जावें**
06	श्री मनीष शर्मा, पटवारी टोंकखुर्द	शिकायत का समयसीमा में रिव्यू एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करने पर	**02 दिवस का वेतन काटा जावें।**

Scanned by CamScanner

07	श्री मनोज वडोदिया, पटवारी	शिकायत का समयसीमा में रिव्यू एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करने पर	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
08	श्री महेंद्र चौहान, पटवारी बागली	759 दिवस लंबित शिकायत का निराकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराये जाने से।	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
09	श्री सुदर्शन कजरे, पटवारी, हाटपिपल्या	शिकायत को समय सीमा में रिव्यु नहीं किया।	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
10	श्री संदीप रावत, पटवारी सोनकच्छ	शिकायत का समय सीमा में निराकरण दर्ज नहीं करवाया।	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
11	श्री शैलेंद्र साहू, पटवारी, देवास	शिकायत का समय सीमा में रिव्यू नहीं करने एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाने पर एवं बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित होने पर	02 दिवस का वेतन काटा जावे।
12	श्री रोनक गुप्ता, राजस्व निरीक्षक, देवास	शिकायत का समय सीमा में रिव्यू नहीं करने एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाने पर	02 दिवस का वेतन काटा जावे।
13	श्री सुनिल सोलंकी, पटवारी, कुमारिया, देवास	शिकायत का उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाने पर	02 दिवस का वेतन काटा जावे।
14	श्री शंकरलाल पंड्या, पटवारी, टोंकखुर्द	शिकायत का समय सीमा में निराकरण दर्ज नहीं करवाया एवं बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित होन पर	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
15	श्री सुरेश बघेल, पटवारी, टोंकखुर्द	शिकायत का समय सीमा में निराकरण दर्ज नहीं करवाया	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
16	श्री विजय तोमर, पटवारी सिंगावदा, देवास	बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित होने पर	02 दिवस का वेतन काटा जावे।
17	सुश्री आयुषी बडगोत्या, स्टेनोटाइपिस्ट, बागली	शिकायतों का निराकरण पोर्टल पर समयावधि में नहीं किये जान से	02 दिवस का वेतन काटा जाये।
18	श्री नरेंद्र सेंधव, पटवारी, सोनकच्छ	शिकायत का समय सीमा में रिव्यु नहीं किया एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाया।	01 दिवस का वेतन काटा जाये।
19	श्री छीतर सिंह बघेल, प्र.राजस्व निरीक्षक, सोनकच्छ	शिकायत का समय सीमा में रिव्यु नहीं किया एवं उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाया।	01 दिवस का वेतन काटा जाये।
20	श्री संजय गर्ग, तहसीलदार	समय सीमा में लंबित शिकायतों का रिव्यू नहीं करने पर	कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें।

Scanned by CamScanner

21	प्रियंका दोशी पटवारी, कानकुण्ड, देवास	शिकायत का उचित निराकरण दर्ज नहीं करवाने पर	**02 दिवस का वेतन काटा जावें।**
22	देवकरण कोटवार, पटलावदा, तहसील देवास	शासकीय सेवा भूमि पर अतिक्रमण एवं पट्टे की मांग	**जांच बैठाए एवं सेवा भूमि वापस ली जाकर पद से पृथक की कार्यवाही करें।**

उक्तानुसार समीक्षा प्रतिमाह की जावेगी। अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारी निरंतर समीक्षा करते रहे एवं समय सीमा में सीएम हेल्पलाईन का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला देवास (म.प्र.)

पृ.क्रमांक-/59 /स्टेनो/एडीएम/2025 देवास, दिनांक - 04 /11/2025

प्रतिलिपि -

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट/भू-अभिलेख की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
2. अनुविभागीय अधिकारी, (समस्त) जिला देवास (म.प्र.)।
3. तहसीलदार समस्त जिला देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधित श्री .... की ओर सुचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला देवास (म.प्र.)

Scanned by CamScanner